2 **न्यायालय मे श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर म0प्र0**

75

III/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/3979

लल्लाराम गुप्ता पिता स्व0 रामगोपाल गुप्ता आयु 77 साल निवासी कौडिया थाना चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0 ....**पुनरीक्षणकर्ता**

बनाम

श्री .... द्वारा आज दि. 23/10/17 को प्रस्तुत

1. बारे लाल पिता स्व0 रामगोपाल गुप्ता आयु ....साल निवासी ग्राम कौडिया थाना चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0
2. पुष्पा गुप्ता पुत्री स्व0 हीरा लाल गुप्ता आयु साल निवासी कौडिया थाना चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया म0प्र0
3. मुस0 सुधा देवी गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता निवासी घघडार पो0 सरसवाही थाना उमरिया तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0
4. मालती देवी गुप्ता पत्नी श्री मोती लाल गुप्ता आयु साल निवासी ग्राम. कठांर थाना मानपुर तहसील मानपुर, जिला उमरिया म0प्र0
5. पार्वती गुप्ता पत्नी पंकज गुप्ता
6. निशा गुप्ता पत्नी श्री विजय गुप्ता दोनो निवासी मनेन्द्रगढ जिला कोरिया छ0ग0 ....**उत्तरवादीगण**

पेशी दि. 30-10-17

23/10/17

<u>पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश कलेटर महोदय उमरिया, जिला उमरिया म0प्र0 पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 33/07/पुनरीक्षण/06–07 आदेश दिनांक 24.07.2007 (27.07.2007) जिसके द्वारा तहसीलदार बांधवगढ के प्रकरण कमांक 61/ए/6/2005–2006 दिनांक 21.03.2007 एवं न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल जिला शहडोल म0प्र0 के मामला कमांक 257/निगरानी/2008–2009 आदेश दिनांक 22.05.2017 पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता</u>

मान्यवर

संक्षेप मे इस निगरानी में श्रीमान् के विचारण हेतु निहित तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण मे निहित तथ्यों के आधार पर आराजी खसरा न0 एवं रकवा 103,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / उमरिया / भू0राज0 / 2017 / 3979

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने आदेश पारित करते समय यह पाया है कि कलेक्टर ने कनिष्ठ न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय का आदेश का पालन नहीं करने के कारण अनुविभागीय अधिकारी की ओर से पारित आदेश का पालन करने के आदेश दिये गये। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखे जाकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन 6 माह में सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	